

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -06/2023-24

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

शोभा राम महतो बनाम कविता देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

01.07.23

विक्रेता का नाम एवं पता -

शोभा राम महतो पिता-स्व० मोहन महतो,
ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे,
थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC
(आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

कविता देवी पति-श्री कमलेश प्रसाद महतो,
ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे,
थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC
(आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री गोवर्द्धन महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-20/04/2023 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता कविता देवी पति-श्री कमलेश प्रसाद महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC (आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पोगड़ा	सिल्ली/47	22	06	12 डी० चौहद्दी: उ०-रोड। द०-कैलाश महतो। पू०-खेत्र मोहन महतो। प०-विधान महतो वगैरह।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-152(ii) दिनांक-12/05/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत दुबराज महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के पुत्र है।

(3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम सरन महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-15.37 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019-20 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने एवं पारिवारिक कार्य हेतु बिक्री कर रहे हैं।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनों पिछड़ी समुदाय कुरमी जाति के सदस्य हैं।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला अन्तर्गत निवास करते हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता शोभा राम महतो पिता-स्व० मोहन महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC (आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-खेती, को क्रेता कविता देवी पति-श्री कमलेश प्रसाद महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC (आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-20/04/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता शोभा राम महतो पिता-स्व० मोहन महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC (आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-खेती, को क्रेता कविता देवी पति-श्री कमलेश प्रसाद महतो, ग्राम-पोगड़ा, पो०-पोगड़ा, प्रखण्ड-राहे, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, जाति-OBC (आच्छादित पिछड़ा वर्ग) पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
पोगड़ा	सिल्ली/47	22	06	12 डी० चौहद्दी: उ०-रोड। द०-कैलाश महतो। पू०-खेत्र मोहन महतो। प०-विधान महतो वगैरह।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता।
बुण्डू (राँची)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता।
बुण्डू (राँची)